प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवीर सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान उर्फ खिलाड़ी निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28883/प्रोबे0-5-दया0/523, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवीर सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान उर्फ खिलाड़ी, ग्राम-भभीसा, थाना-कांधला, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनाक 14-05-1980को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डों, घूंसों से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-179/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 325/34 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.05.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2004 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2016 तक 13 वर्ष 07 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 09 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रि0मि0 रिट याचिका सं0-17550/2017 रघुवीर बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2017 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रघुवीर सिंह (बन्दी संख्या-9951) पुत्र श्री चन्द्रभान उर्फ खिलाड़ी, निवासी-जनपद- मुजफ्फरनगर वर्तमान शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-793/2016/1956/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in